न्यायालय–विशेष न्यायाधीश (एस.सी.एस.टी. एक्ट) गुना म.प्र.

अग्रिम प्रतिभूति आवेदन कमांक–09/2024

फाइलिंग नं.48/2024

सी.एन.आर. नं.एम.पी.0801000051/2024

1– राधेश्याम धाकड़ पुत्र हरिचरण, आयु 40 साल,
2– ललित धाकड़ पुत्र राधेश्याम धाकड़, आयु 19 साल,
3– पवन धाकड़ पुत्र राधेश्याम धाकड़, आयु 18 साल,
निवासीगण ग्राम लपचौरा, थाना बमोरी, जिला गुना म.प्र.
.....आवेदकगण

विरूद्ध

शासन पुलिस बमोरी, जिला गुना म.प्र.
.....अनावेदक

04-01-2024

आवेदकगण **राधेश्याम धाकड़, ललित धाकड़ एवं पवन धाकड़** द्वारा श्री कपिल सोनी अधिवक्ता उपस्थित।

शासन द्वारा श्री परवेज अहमद वि.लो.अभि. उप।

थाना बमोरी के अप.क्रं.227/23 धारा 294, 323, 324, 506, 34 भा.द.वि. एवं धारा 3(1)(द),3(1)(ध) 3(2)(व्ही.ए.) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की कैफियत रिपोर्ट एवं विचाराधीन विशेष सत्र प्र.क्र.02/24, शा.पु. बमोरी वि. राधेश्याम आदि का मूल अभिलेख प्रस्तुत।

प्रकरण का फरियादी सूचना पत्र तामील उपरांत उपस्थित नहीं।

अग्रिम जमानत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 438 द.प्र.सं. पर उभय पक्ष को सुना गया।

आवेदकगण ने प्रथम अग्रिम जमानत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 438 द.प्र.सं. होने के संबंध में स्वयं के का शपथ पत्र प्रस्तुत किये हैं। जमानत आवेदन पत्र में यह निवेदन किया गया है कि उनका धारा 438 द.प्र.सं. का प्रथम अग्रिम प्रतिभूति आवेदन पत्र है। आवेदकगण के विरूद्व असत्य सूचना के आधार पर अपराध पंजीबद्ध किया है। आवेदकगण को पुलिस गिरफतार करने हेतु तत्पर है। आवेदकगण का अपराध से कोई संबंध नहीं है। फरियादी महेन्द्र आये दिन आवेदक राधेश्याम के घर पर आकर शराब के नशे में अश्लील गाली–गलौच करता है। आवेदक राधेश्याम ने पुलिस अधीक्षक गुना को लेखी आवेदन दिया है। आवेदकगण का विवाद जातीए आधार पर नहीं हुआ है। आवेदकगण मजदूर पेशा व्यक्ति हैं। आवेदकगण जिला गुना के स्थाई निवासी हैं। आवेदकगण अधिरोपित शर्तों का पालन करेंगे। अतः आवेदकगण को अग्रिम जमानत पर मुक्त किया जावे।

अभियोजन द्वारा अग्रिम जमानत आवेदन का मौखिक विरोध किया गया।

प्रकरण का अवलोकन किया गया।

अभियोजन का मामला संक्षिप्ततः यह है कि दिनांक 02.11.23 को शाम करीब 4 बजे फरियादी महेन्द्र, आवेदक राधेश्याम की दुकान के सामने खड़ा था तभी राधेश्याम के पुत्र ललित, पवन आये और उससे उधारी के रूपये मांगने लगे, उसने कहा दे देगा, इसी बात पर तीनो उसे मां–बहन की जातिसूचक गालियां देने लगे, मना करने पर फरियादी की लोहे की छड़ से राधेश्याम ने मारपीट की। फरियादी की पत्नि पूनम एवं भाई गुलशन ने बीचबचाव किया था।

फरियादी की उक्त मौखिक रिपोर्ट पर से आवेदकगण के विरूद्ध थाना बमोरी में अप.क्रं. 227/23 धारा 294, 323, 324, 506, 34 भा.द.वि. एवं धारा 3(1)(द), 3(1)(ध) 3(2)(व्ही.ए.) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध की गई है।

केस डायरी के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदकगण के विरूद्ध प्रथम दृष्टया अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के अपराध के विशिष्ट कथन अभिलेख पर हैं।

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धारा 18 के द्वारा अग्रिम जमानत को वर्जित किया गया है।

अतः प्रकरण के तथ्यों, संकलित साक्ष्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए आवेदकगण **राधेश्याम धाकड़, ललित धाकड़ एवं पवन धाकड़** का अग्रिम जमानत आवेदन निरस्त किया जाता है।

आदेश की प्रति आरक्षी केन्द्र को भेजी जावे तथा एक प्रति मूल अभिलेख में संलग्न की जावे।

पत्रावली दाखिल रिकार्ड की जावे।

/सही/

(रविन्द्र कुमार भद्रसेन)
विशेष न्यायाधीश,
एस.सी.एस.टी. गुना म0प्र0

RAVINDRA KUMAR BHADRASEN

Digitally signed by RAVINDRA KUMAR BHADRASEN
Date: 2024.01.04 17:54:41 +0530